

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त

दिनांक: 30 अप्रैल, 2010 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सेंटर फॉर एकेडमिक्स भवन में सम्मान हुई कार्यपरिषद की बैठक की कार्यवाही।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये: -

1.	प्रो० हर्ष कुमार सहगल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० डी०ए० दिवाकर	सदस्य
3.	प्रो० कौके० बहल	सदस्य
4.	प्रो० नन्दलाल	सदस्य
5.	प्रो० आर०सी० कटियार	सदस्य
6.	डॉ० शिशुपाल सिंह भदौरिया	सदस्य
7.	प्रो० ए०ए० जाटव	सदस्य
8.	प्रो० मुकेश रंगा	सदस्य
9.	डॉ० अशु यादव	सदस्या
10.	डॉ० हेमलता सिंह	सदस्या
11.	डॉ० जितेन्द्र कुमार सिंह	सदस्य
12.	डॉ० बी०के० शुक्ला	सदस्य
13.	डॉ० इन्दू गौतम	सदस्या
14.	श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा, वित्त अधिकारी	सदस्य
15.	श्री महेश चन्द्र, कुलसचिव	सचिव

अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यपरिषद के समस्त उपस्थित सदस्यों के स्वागतोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में मदवार निम्नांकित निर्णय लिये गये।

मद सं०-१: कार्यपरिषद की सम्पन्न बैठक दिनांक : 05.03.2010 की कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

परिषद द्वारा कार्यपरिषद की गत बैठक दिनांक 05.04.10 की कार्यवाही को विचारोपरान्त यथावत सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया गया।

मद सं0-2:

विद्या परिषद की बैठक दिनांक: 29.04.2010 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

अध्यक्ष महोदय ने परिषद को विद्या परिषद की बैठक दिनांक: 29.04.10 में लिये गये, महत्वपूर्ण विनिश्चयों, विशेष रूप से पी-एच.डी. प्रोग्राम में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा, परास्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू किये जाने जिसमें 60 प्रतिशत प्रश्नपत्र पूर्व की भाँति एवं 40 प्रतिशत प्रश्नपत्र ओ०ए०आर० पद्धति से होने, तथा विधि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार सेमेस्टर प्रणाली लागू किये जाने आदि सम्बन्धी निर्णयों से अवगति कराया। कार्यपरिषद ने विद्या परिषद के सम्मत विनिश्चयों को विस्तृत विचारोपरान्त यथावत् सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।

मद सं0-3:

विज्ञापन संख्या: सी.एस.जे.एम.यू./02/2009 दिनांक: 08.06.09 द्वारा विज्ञापित विश्वविद्यालय के शैक्षिक विभागों में रिक्त शैक्षणिक पदों पर चयन हेतु सम्पन्न हुई चयन समिति की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(i) शिक्षा विभाग में अनारक्षित प्रोफेसर के 01 पद पर सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक दिनांक: 20.02.2010।

परिषद द्वारा शिक्षा विभाग में अनारक्षित प्रोफेसर के 01 पद (ऐ-बैण्ड: रु.37400-67000 ए०जी०पी०: रु.10,000) पर चयन हेतु चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को अनुमोदित करते हुए डॉ० मृदुला भदौरिया पत्नी डॉ० क०ए०स० भदौरिया को श्रेष्ठता क्रम (In Order of Merit) में नियुक्ति प्रदान की गई।

(ii) शिक्षा विभाग में कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति हेतु सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक दिनांक: 20.02.2010।

परिषद द्वारा शिक्षा विभाग में कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की संस्तुति को अनुमोदित करते हुए निम्नांकित उपचार्यों को प्रोफेसर के पद (वेतनमान रु.16400-450-20900-500-22400) पर अर्हता तिथि से प्रोन्नति प्रदान कर गई:-

- (i) डॉ० मृदुला भदौरिया पत्नी डॉ० क०ए०स० भदौरिया
- (ii) डॉ० सुभाष चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री यू०ए०स० अग्रवाल

(iii) शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित रीडर के 01 पद पर सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक दिनांक: 20.02.2010।

परिषद द्वारा शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित रीडर के 01 पद (पे-बैण्ड: रु.15600-39100 ए.जी.पी.: रु.8,000) पर चयन हेतु चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को अनुमोदित करते हुए डॉ मुनेश कुमार पुत्र स्व० श्री पूरन सिंह को श्रेष्ठता क्रम (In Order of Merit) में नियुक्ति प्रदान की गई।

(iv) शिक्षा विभाग में वरिष्ठ वेतनमान प्रदान किये जाने हेतु सम्पन्न हुई स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक: 20.02.2010।

परिषद द्वारा शिक्षा विभाग में कैरियर एडवांसर्ट योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ वेतनमान प्रदान किये जाने हेतु स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति को अनुमोदित करते हुए डॉ विजय जायसवाल पुत्र श्री हरीश चन्द्र जायसवाल को अर्हता तिथि से वरिष्ठ वेतनमान (पे-बैण्ड: रु.15600-39100 ए.जी.पी.: रु. 7,000) प्रदान किया गया।

(v) शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित प्रवक्ता के 01 पद पर सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक दिनांक: 20.02.2010 एवं 21.02.2010।

परिषद द्वारा शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित प्रवक्ता के 01 पद (पे-बैण्ड: रु.15600-39100 ए.जी.पी.: रु. 6,000) पर चयन हेतु चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को अनुमोदित करते हुए निम्नांकित अभ्यर्थी को श्रेष्ठता क्रम (In Order of Merit) में नियुक्ति प्रदान की गई-

- (i) श्री गौरव राव पुत्र श्री ए.बी.राकेश
- (ii) श्री नगेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्याम लाल (प्रतीक्षा सूची)

(vi) अंग्रेजी विभाग में अनारक्षित प्रोफेसर के 01 पद पर सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक दिनांक: 22.02.2010।

परिषद द्वारा अंग्रेजी विभाग में अनारक्षित प्रोफेसर के 01 पद (पे-बैण्ड: रु.37400-67000 ए.जी.पी.: रु. 10,000) पर चयन हेतु चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को अनुमोदित करते हुए निम्नांकित अभ्यर्थी को श्रेष्ठता क्रम (In Order of Merit) में नियुक्ति प्रदान की गई।

- (i) डॉ प्रवेश कुमार कुश पुत्र स्व० श्री महेंद्र दत्ता कुश
- (ii) डॉ बेबी रानी अग्रवाल पत्नी श्री एस०एस० गोयल (प्रतीक्षा सूची)

(vii) अंग्रेजी विभाग में कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति हेतु सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक दिनांक: 22.02.2010।

परिषद द्वारा अंग्रेजी विभाग में कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की संस्तुति को अनुमोदित करते हुए डॉ० शिखा मिश्रा पत्नी स्व० श्री अश्वनी कुमार मिश्रा को प्रोफेसर के पद (वेतनमान 16400-450-20900-500-22400) पर अर्हता तिथि से प्रोन्नति प्रदान की गई।

(viii) अंग्रेजी विभाग में कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत रीडर के पद पर प्रोन्नति हेतु सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक दिनांक: 22.02.2010।

परिषद द्वारा अंग्रेजी विभाग में कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत रीडर के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की संस्तुति को अनुमोदित करते हुए डॉ० संजय स्वर्णकार पुत्र श्री सी०एल० स्वर्णकार को उपचार्य के पद (वेतनमान रु. 12000-420-18300) पर अर्हता तिथि से प्रोन्नति प्रदान की गई।

(ix) प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा प्रसार विभाग में अनारक्षित प्रोफेसर के 01 पद पर सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक दिनांक: 25.03.2010।

परिषद द्वारा प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा प्रसार विभाग में अनारक्षित प्रोफेसर के 01 पद (पे-बैण्ड: रु.37400-67000 ए.जी.पी.: रु.10,000) पर चयन हेतु चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को अनुमोदित करते हुए डॉ० सरस्वती अग्रवाल पत्नी श्री विनोद कुमार अग्रवाल को श्रेष्ठता क्रम (In Order of Merit) में नियुक्ति प्रदान की गई।

(x) प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा प्रसार विभाग में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित रीडर के 01 पद पर सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक दिनांक: 25.03.2010।

परिषद द्वारा प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा प्रसार विभाग अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित रीडर के 01 पद (पे-बैण्ड: रु. 15600-39100 ए.जी.पी.: रु. 8,000) पर चयन हेतु चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को अनुमोदित करते हुए डॉ० संदीप कुमार सिंह पुत्र श्री श्याम मनोहर सिंह को श्रेष्ठता क्रम (In Order of Merit) में नियुक्ति प्रदान की गई:-

(x) प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा प्रसार विभाग में वरिष्ठ वेतनमान प्रदान किये जाने हेतु सम्पन्न हुई स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक: 25.03.2010।

परिषद द्वारा प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा प्रसार विभाग में कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ वेतनमान प्रदान किये जाने हेतु रक्फीनिंग समिति की संस्तुति को अनुमोदित करते हुए डॉ. उपमा श्रीवास्तव को अनुत्ता तिथि से वरिष्ठ वेतनमान (रु 10000-325-15200) प्रदान किया गया।

मद सं-4:

विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त नवीन महाविद्यालयों एवं पूर्व से संचालित सम्बद्ध महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता से परिषद को संसूचित किया जाना।

विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त नवीन महाविद्यालयों/नवीन पाठ्यक्रमों एवं पूर्व से संचालित सम्बद्ध महाविद्यालयों की सम्बद्धता से परिषद संसूचित हुई।

मद सं-5:

विश्वविद्यालय की वर्ष 1967 से 1975 तक की अविनिरित उपाधियों जिन्हें अभी तक उपाधिकर्ताओं ने विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं किया है तथा दीर्घावधि से इन उपाधियों को सुरक्षित न रख पाने के दृष्टिगत उनको विनष्ट किये जाने पर विचार।

परिषद ने वर्ष 1967 से 1975 तक की अविनिरित उपाधियां जिन्हें अभी तक अन्यर्थीयों द्वारा प्राप्त नहीं किया है के सम्बंध में यह निर्णय लिया गया कि समस्त उपाधि प्राप्तकर्ताओं को उपाधि प्राप्त करने हेतु दो माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए तथा उपर्युक्त अवधि के उपाधि प्राप्तकर्ताओं को इस आशय की सूचना प्रेस-नोट जारी कर अखबारों माध्यम से दी जाए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाए। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि यह सूचना जनहित में सूचना निदेशक के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित की जाए। इस अवधि के उपरान्त यदि उपाधिकर्ताओं द्वारा उपाधि प्राप्त न की जाए तो उपाधियां विनष्ट कर दी जाएं तथा भविष्य में किसी अन्यर्थी द्वारा उपाधि की मांग किये जाने पर रु 1000/- शुल्क जमा करा कर ही उपाधि विश्वविद्यालय से निर्गत की जाए।

मद सं-6:

विश्वविद्यालय की संत्र 2009-10 की बैलेंस शीट तैयार करने हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेंट के पैनल से माननीय कुलपति जी द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्ट वी०एस० परिहार एण्ड एसोशिएट्स, 120/369, लाजपत नगर, कानपुर से परिषद को संसूचित किया जाना।

विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2009-10 की बैलेंस शीट तैयार करने हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्ट वी०एस० परिहार एण्ड एसोशिएट्स 120/369, लाजपत नगर, कानपुर से परिषद संसूचित हुई।

मद सं०-७:

विश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित संस्थानों/विभागों में कार्यरत शिक्षकों को छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतन/मानदेय दिये जाने हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान किये जाने पर विचार किया जाना।

कार्यपरिषद में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित संस्थानों/विभागों में कार्यरत शिक्षकों को छठवें वेतन आयोग के वेतन/मानदेय दिये जाने पर यह इंगित करते हुए कि छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार शैक्षिक योग्यता रखने वालों को वेतनमान का लाभ शासन की पूर्वानुमति प्राप्त कर नियमानुसार अनुमत्य कराने के लिए सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की। ऐसे सब शिक्षक जिनकी शैक्षिक योग्यता में कमी है, उनको इस कमी को पूरा करने के लिए उपयुक्त समय प्रदान करने के लिए निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा परिषद को यह अवगत कराने पर कि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षक छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किये जाने की मांग को लेकर हड्डताल पर है तथा शिक्षण कार्य बाधित किये हुए हैं; परिषद ने छात्रहित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया कि इदि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षक उक्त मांगों को लेकर हड्डताल से वापस नहीं आते हैं तो उन्हें इस आशय की नोटिस दी जाए कि उनके द्वारा बाधित किये जा रहे शिक्षण कार्य के लिए क्यों न अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाए। परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि शिक्षण कार्य न किये जाने हेतु 'नो वर्क, नो पे' का नियम भी लागू किया जाए एवं यथाउचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

मद सं०-८:

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर एवं पोलिश काउन्सिल, पौलैण्ड के साथ शैक्षिक गतिविधियों के क्षेत्र में एम०आ०य०० किये जाने पर विचार।

परिषद द्वारा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर एवं पोलिश काउन्सिल, पौलैण्ड के साथ शैक्षिक गतिविधियों के क्षेत्र में एम०आ०य०० किये जाने पर विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी।

अन्य बिन्दु (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)

डॉ० सुधांशु पाण्डिया, उपाचार्य द्वारा स्वदितपोषित योजनान्तर्गत आई०बी०एम० में धारित उपाचार्य के पद पर प्राप्त किये जा रहे मूल वेतन को आई०बी०एम० के ही अनुदानित उपाचार्य के पद पर कर्त्तव्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से रु० 13260/- संरक्षित किये जाने पर विचार।

परिषद ने डॉ० सुधांशु पाण्डिया, उपाचार्य द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत आई०बी०एम० में धारित उपाचार्य के पद पर प्राप्त किये जा रहे मूल वेतन को आई०बी०एम० के ही अनुदानित उपाचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से रु० 13260/- संरक्षित किये जाने पर सहमति प्रदान की।

मद सं०-२:

श्री दीपक वर्मा, प्रवक्ता, कम्प्यूटर साइंस विभाग, यूआई०ई०टी० द्वारा उनकी नियुक्ति की प्रकृति एवं सेवा शर्तों को पूर्ववत् रखे जाने एवं वरिष्ठ वेतनमान प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश संशोधित किये जाने पर विचार।

परिषद ने श्री दीपक वर्मा, प्रवक्ता, कम्प्यूटर साइंस विभाग, यूआई०ई०टी० द्वारा उनकी नियुक्ति की प्रकृति एवं सेवा शर्तों को पूर्ववत् रखे जाने एवं वरिष्ठ वेतनमान प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश संशोधित किये के संबंध में यह निर्णय लिया कि प्रकरण का परीक्षण करते हुए तथा यदि आवश्यक हो तो विधिक परामर्श प्राप्त करते हुए अग्रेतर कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित की जाए।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए परिषद की बैठक समाप्त हुई।

जुलाई
(हर्ष कुमार सहगल)
कुलपति / अध्यक्ष

८५०५/१०
(महेश चन्द्र)
कुलसचिव / सचिव